फर्द अहकाम

न्यायालय : विशिष्ट न्यायाधीश स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम केसेज (सैशन न्यायाधीश) दौसा

उनवान : केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो जयपुर **बनाम** सुन्दरलाल आदि

किस्म मुकदमा : सैशन प्रकरण संख्या–18 / 2025

सीएनआर नंबर : RJDS010004532025

(एफआईआर नंबर 04 / 2024 सी.बी.एन. जयपुर अंतर्गत धारा 8 / 21, 22 व 29 एनडीपीएस एक्ट)

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुआ।
20.07.2026	श्री कमलेश कुमार बोहरा, विद्वान विशिष्ट लोक अभियोजक केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की ओर से उपस्थित। अभियुक्तगण नवीन टेलर व सुन्दरलाल शर्मा न्यायिक अभिरक्षा से असालतन मय विद्वान अधिवक्ता श्री विक्रम शर्मा उपस्थित। अभियुक्त संदीप कुमार सैनी न्यायिक अभिरक्षा से उपस्थित नही, इसका केवल न्यायिक अभिरक्षा वारण्ट पेश हुआ। श्री आनन्द शर्मा, विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त संदीप की ओर से उपस्थित। साक्ष्य अभियोजन में गवाह रंजेश शुक्ला पी. डब्ल्यू. 07 हाजिर नही। विद्वान विशिष्ट लोक अभियोजक श्री कमलेश बोहरा ने एक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि गवाह श्री रंजेश शुक्ला वर्तमान में प्रकरण संख्या 01 / 2026 जप्ती अवैध LSD व MDMA के अनुसंधान कार्य में व्यस्त है। अतः साक्ष्य हेतु अगली तारीख दिये जाने का निवेदन किया। सुना गया। चूंकि इस गवाह के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा त्वरित गति से साक्ष्य लेखबद्ध किये जाने के निर्देश है। पूर्व में इस गवाह की साक्ष्य बतौर पी. डब्ल्यू. 07 दिनांक 21.04.2026, 02.05.2026, 06.05.2026, 12.05.2026, 25.05.2026, 02.06.2026, 30.06.2026 लेखबद्ध की गई। परन्तु बहुत अत्यधिक दस्तावेज, जो कि सैंकडों से ज्यादा है, उन्हे प्रदर्शित करवाने से साक्ष्य लेखबद्ध किये जाने में अत्यधिक समय लग रहा है तथा बीच–बीच में गवाह दीगर प्रकरणों के अनुसंधान में व्यस्त होने व मादक पदार्थो की जप्ती करने के कारण उपस्थित नही हो पाया है। आज भी गवाह उपरोक्त प्रकरण में जप्ती व अनुसंधान करने के कारण उपस्थित नही हो पाया है। अतः पत्रावली वास्ते साक्ष्य अभियोजन में दिनांक 04.08.2026 को पेश हो। प्रकरण में गवाह की साक्ष्य बहुत लम्बी होने से अत्यधिक समय लग रहा है। उक्त दिनांक को कोई अन्य प्रकरण साक्ष्य में नही रखा जावें। चूकिं इस प्रकरण में जप्तशुदा मादक पदार्थ बहुत अत्यधिक मात्रा व दस्तावेज भी बहुत अधिक मात्रा में है इसलिए दिनांक 04.08.2026 के लिए केवल इस गवाह की साक्ष्य हेतु प्रकरण	सुन्दर लाल नवीन SPP 20/7/2026

नियत हो। क्योंकि अभियुक्तगण अभिरक्षा में है तथा इस प्रकरण में जल्दी से जल्दी न केवल इस गवाह बल्कि अन्य गवाहान की साक्ष्य लेखबद्ध किया जाना वांछित है ताकि प्रकरण का निस्तारण त्वरित गति से किया जा सके। प्रार्थना पत्र शामिल पत्रावली रहे।

पत्रावली दिनांक 04.08.2026 को पेश हो। तब तक सभी अभियुक्तगण की न्यायिक अभिरक्षा अवधि अधिकृत की जाती है।

सैशन न्यायाधीश
दौसा (राज०)